

कायालय आधष्ठाता बुन्दलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर
शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर(म.प्र.)

फोन नं. 07582-236270
फैक्स नं. 07582-236457

कमांक...../स्था.अराज/2022

सागर दिनांक /04/2022

//नियुक्ति आदेश//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 2-06/2018/1/55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के पत्र क. 16/स्था.अराज/2019 भोपाल दिनांक 07.01.2019 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में फार्मसिस्ट ग्रेड-02 के रिक्त पदों पर भर्ती शाखा द्वारा विज्ञापित कमांक 7272/भर्तीशाखा/2021 सागर दिनांक 21.12.2021 द्वारा विज्ञापन जारी किया गया जिसमें भर्ती शाखा द्वारा जारी की गई चयन सूची में निम्न अभ्यर्थी का फार्मसिस्ट के पद पर चयन किया गया :-

स. क्र.	शासकीय सेवक का नाम	पिता/पति का नाम	नियुक्ति श्रेणी	आवेदक की श्रेणी	पदस्थापना स्थल	वेतनमान
01	राहुल सिंह कुर्मी	श्री जगदीश कुर्मी	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर	25300-80500 (लेवल 6)
02	बंटी सिंह	श्री प्रेमनारायण	अनारक्षित	अनुसूचित जाति		
03	प्रेरणा चोरसिया	श्री सुदामा प्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग		
04	सुनील सिसोदिया	श्री गुनीम सिसोदिया	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति		
05	सुरेश कुमार धुर्वे	श्री बखारु सिंह धुर्वे	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति		
06	अकित चुबारी	स्व.चंद्र प्रकाश चुबारी	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति		
07	संदीप कुमार विक्रम	श्री राधाकृष्ण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति		
08	ज्ञान सिंह	श्री बालवीर सिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग		
09	अभिषेक भाम्बरकर	श्री एन.के. भाम्बरकर	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति		

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

1. अभ्यर्थी को चिकित्सा महाविद्यालय सागर के फार्मसिस्ट ग्रेड-02 के पद पर 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
2. अभ्यर्थी को उपस्थिति पूर्व चिकित्सीय जांच (मेडिकल प्रमाण पत्र) हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । चिकित्सा बोर्ड द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही नियुक्ति वैध होगी ।
3. चयनित अभ्यर्थी को न्यूनतम तीन वर्ष की सेवाये देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा । सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर को 50,000 (पचास हजार रुपये) एवं अन्य खर्च बाकी समयवाधि के वेतन के बराबर राशि जमा करनी होगी । यह देय राशि संबंधित से भू राजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूली योग्य होगी ।
4. म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र कमांक सी,3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा ।

5. परीवीक्षा अवधि में उपरोक्त पद का वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टापेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
6. चयनित उम्मीदवार की सेवाये किसी भी समय (नियुक्तकर्ता द्वारा) एक माह का नोटिस देकर या उसकी एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
7. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति, / जनजाति / अपि.वर्ग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। विज्ञापित में बैकलॉग के पदों की पूर्ति कर ली गई है।
8. नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
9. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय चरित्र प्रमाण पत्र को संबंधित थाने से पूर्ण रूप से पुलिस द्वारा अभिप्रमाणित कराकर संस्था में आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
10. उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय म.प्र. फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ फार्मसिस्ट का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
11. किसी भी प्रकार के दस्तावेज जो आपके द्वारा जमा किये गये हैं के सत्यापन में यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता हुआ तो सेवाये बिना किसी नोटिस के स्वमेव समाप्त हो जावेगी। एवं आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
12. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण-पत्रों की सत्यापित छायाप्रति जमा करनी होगी।
13. आप किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
14. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाये अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
15. चयनित उम्मीदवार को अपनी उपस्थिति कार्यालय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में देना होगी।
16. आपके दस्तावेजों पर यदि किसी के द्वारा आपत्ति ली जाती है / विवाद उत्पन्न होता है एवं वह सत्य पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
17. नियुक्त व्यक्ति को 100/- के स्टांप में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज गलत पाये जाते हैं तो पूर्ण जबाबदारी मेरी स्वयं की होगी।
18. वरिष्ठता सूची जारी किये गये नियुक्ति पत्र के अनुसार न होकर समस्त पदों पर नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात् एम.पी. ऑनलाइन द्वारा प्राप्त प्रावीण्य सूची के अनुसार पृथक से जारी की जावेगी।

अधिष्ठाता

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय

सागर (मोप्रो)

सागर दिनांक 26/11/2021

पृ.क्रमांक 2470 / स्था.अराज / 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, सागर संभाग सागर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर
3. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक बी.एम.सी. सागर
4. मेडिकल बोर्ड, जिला चिकित्सालय सागर
5. प्रभारी अधिकारी वित्त/भर्ती/स्वशासी शाखा बी.एम.सी. सागर
6. लेखा/भर्ती/स्वशासी शाखा बी.एम.सी. सागर
7. संबंधित प्र. प्रेरणा पोलिसी की ओर पालनार्थ।

अधिष्ठाता

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (मोप्रो)